न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 5/2021 नामान्तरकरण अपील

1. राकेश कुमार शर्मा पुत्र ग्यारसी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सलेमाबाद तहसील लालसोट हाल निवासी 1 कृष्णा विस्तार करतारपुरा वार्ड नम्बर 2 स्टेशन रोड जयपुर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट नामान्तरकरण संख्या 16 ग्राम सलेमाबाद दिनांक 20.01.1983)

उपस्थिति :– 1 :श्री बाबूलाल हाडा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 28.09.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के पिता ग्यारसी लाल पुत्र लच्छा के नाम आराजी खसरा नं. 6 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सलेमाबाद तहसील लालसोट में खातेदारी भूमि थी। जिसमे अपीलान्ट के पिता का 1/2 हिस्सा था तथा कस्बा लालसोट में भी अपीलान्ट के पिता के नाम अन्य भूमि थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिसान के नाम नामान्तरकरण होना चाहिए था। ग्यारसीलाल की विरासत का नामान्तरकण उनके 6 लडको के नाम खोला जाना था परन्तु ग्राम सलेमाबाद के नामान्तरकरण संख्या 16 में अपीलान्ट का नाम राकेश की जगह गलती से गिर्राज के नाम नामान्तकरण खोलने के आदेश तहसीलदार लालसोट ने राजस्व अभियान में कर दिया एवं पटवारी हल्का ने गलत रूप से नामान्तरकरण भरकर दे दिया जिसे तहसीलदार लालसोट ने भी बिना जांच पडताल किये तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडन्ट की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता ग्यारसीलाल की विरासत का नामान्तरकरण उसके 6 लडको के नाम खोला जाना था परन्तु ग्राम सलेमाबाद के नामान्तरकरण संख्या 16 में अपीलान्ट के पिता राकेश के नाम की जगह गलती से गिर्राज के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश तहसीलदार लालसोट ने राजस्व अभियान में कर दिया एवं बिना जांच पडताल किये नामा. संख्या 16 दिनांक 20.01.1983 ग्राम सलेमाबाद तस्दीक कर दिया। जबकि अपीलान्ट की ग्यारसीलाल का लडका राकेश है तथा अपीलान्ट के पिता की कस्बा लालसोट, राजौली, तहसील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लालसोट में अन्य कृषि भूमि है। जिसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम सही ढंग से खोला गया था परन्तु पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय की गलती से नामान्तरकरण संख्या 16 में अपीलान्ट का नाम राकेश की जगह गिर्राज लिख दिया गया। अपीलान्ट राजकीय सेवा मे जयपुर कार्यरत रहने के कारण अपीलान्ट को उक्त गलती की जानकारी नहीं हो सकी। जब अपीलान्ट कृषि भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु लालसोट आया तब पटवारी हल्का से उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी हो सकी है। अपीलान्ट के पिता के गिर्राज नाम का कोई लडका ही नही था अपीलान्ट के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अंक तालिका व राशन कार्ड व रिर्टन में अपीलान्ट का नाम राकेश कुमार शर्मा ही दर्ज है। नामान्तरकरण में केवल नाम दुरूस्ती ही किया जाना है शेष नाम व पारिवारिक सजरा अन्य भूमियों की जमाबन्दी के अनुसार सही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20.01.1983 ग्राम सलेमाबाद तहसील लालसोट निरस्त फरमाये जाने का निवेदन अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा किया गया।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20.01.1983 ग्राम सलेमाबाद तहसील लालसोट अपीलान्ट के पिता ग्यारसीलाल पुत्र लच्छा के समस्त वारिसान की जांच करने के उपरान्त ही विधिपूर्वक खोला गया था। फिर भी कोई त्रुटि रही हो तो प्रकरण में पुनः वारिसान की जांच के उपरान्त ही पूर्ण साक्ष्य सबूत के उपरान्त ही विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार लालसोट ने उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण को तस्दीक करते समय अपीलान्ट के नाम की जांच नहीं कर त्रुटि की है जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से साबित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 20.01.1983 ग्राम सलेमाबाद तहसील लालसोट निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट के सही नाम की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official